18.05.2026

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय एवं श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ ग्रीष्मावकाश पर होने एवं आवश्यक प्रभार इस न्यायालय के पास होने से आवेदक/आरोपी दरू पिता धन्ना एवं आवेदकगण/आरोपीगण दुलेसिंह, कमजी, सवेसिंह एवं विपुल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस. मेरे समक्ष पेश साथ ही थाना रानापुर के अपराध कमांक 227/2026 अंतर्गत धारा–296, 115 (2), 351(3), 140(2), 3(5) बी.एन.एस. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुई।

उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र थाना रानापुर के अपराध कमांक 227/2026 अंतर्गत धारा–296, 115 (2), 351(3), 140(2), 3(5) बी.एन.एस. से संबंधित होने से दोनों आवेदन पत्रों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

आवेदक/आरोपी दरू की ओर से श्री दिलीप कुशवाह अधि.।

आवेदकगण/आरोपीगण दुलेसिंह, कमजी, सवेसिंह एवं विपुल की ओर से श्री आशीष शर्मा अधि.।

अभियोजन की ओर से श्री मुकुल सक्सेना, जिला लोक अभियोजक।

दोनों ही जमानत अवोदन के संबंध में आपत्तिकर्ता खुमसिंह पिता जालमसिंह मोरी उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम भूतखेड़ी तहसील रानापुर, जिला झाबुआ, म.प्र. द्वारा आपित्त प्रस्तुत की गयी।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्षों के तर्क सुने गये।

आवेदक/आरोपी दरू की ओर से प्रस्तुत **धारा–483 बी.एन.एस.एस. प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र** होना प्रकट करते हुए उसके समर्थन में आवेदक/आरोपी के भाई पेमा पिता धन्ना निनामा जाति भील उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम वडलीपाड़ा, तहसील सरदारपुर जिला धार म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र धारा–483 बी.एन.एस.एस. का किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित या निराकृत नहीं हुआ है।

आवेदकगण/आरोपीगण दुलेसिंह, कमजी, सवेसिंह एवं विपुल की ओर से प्रस्तुत **धारा–483 बी.एन.एस.एस. प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र** होना प्रकट करते हुए उसके समर्थन में आवेदकगण/आरोपीगण के रिश्तेदार दिनेश पिता जोगड़िया वसुनिया उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम भूरीमाटी तहसील रानापुर, जिला झाबुआ, म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि इसके

Order Sheet [Contd] Crl.No. BA/374/2026 & 375/2026

Case No. . . . . of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र धारा–483 बी.एन.एस.एस. का किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित या निराकृत नहीं हुआ है। दोनों ही जमानत आवेदन पत्र में उनके अधिवक्तागण की ओर से तर्क में व्यक्त किया कि आवेदकगण/आरोपीगण को दिनांक 30.04.2026 को अभियोगी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के न्यायालय में पेश किया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र धारा–480 बी.एन.एस.एस. दिनांक 14.05.2024 को निरस्त किये गये हैं। आवेदकगण/आरोपीगण निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झुठा फंसाया गया है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना हैं, यदि वह न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे तो अपना समुचित बचाव नहीं कर सकेंगे आवेदक/आरोपी दरू ग्राम वडलीपाड़ा, तहसील सरदारपुर जिला धार म.प्र. तथा शेष आवेदगण/आरोपीगण वडलीपाड़ा तहसील रानापुर जिला झाबुआ म.प्र. के स्थाई निवासी है, यदि उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है आवेदगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदगण/आरोपीगण को प्रतिभूति का लाभ दिया जावे। राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने तर्क किया कि आवेदगण/आरोपीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकति का है। अतः आवेदन दोनों जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जावें। केस डायरी अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादी खुमसिंह मोरी द्वारा दिनांक 29.04.2026 को रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वह ग्राम भूतखेड़ी का निवासी होकर छायन सेमलखेड़ी में किराना दुकान चलाता है और ग्राम भूरीमाटी में मुकेश वसुनिया के यहाॅ आता–जाता रहता है, दिनांक 28.04.2026 को मुकेश वसुनिया के यहाॅ गया था, तब दो लड़के ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे थे और उसे देखकर पेड़ से कूद गये तथा वहाॅ से भाग गये, फिर दिनांक 29.04.2026 को सवेसिंह पिता कालू वसुनिया निवासी भुरीमाटी उसे फोन लगाकर बोलने लगा कि कल तुमने मेरे गांव के लड़कों के साथ मारपीट की है, और उसका 40 हजार रूपये का मोबाईल लेकर गये हो तो तुम्हें भील पंचायत के अनुसार मोबाईल व गुनाह के रूपये देना पडेगा,	

उसने बोला कि उसने कोई मोबाईल नहीं लिया और न ही मारपीट नहीं की है, तब दिनांक 29.04.2026 को वह सुभाष मार्ग पुराना बस स्टेंण्ड रानापुर में कटारिया टाईपिंग वाले के यहॉ पर आवेदन लिखवाने के लिये जा रहा था तब जैसे ही दुकार पर पहुंचा तब सवेसिंह वसुनिया के रिश्तेदार दरू पिता धन्ना, अर्पित पिता रमेश, विपुल पिता कलमसिह एक मोटरसाईकिल से आये ओर उसे मॉ–बहन की नंगी–नंगी गालियॉ देते हुए बोले कि हमारी गाडी पर बैठ, जब उसने मना किया तो उसके साथ थप्पड़–मुक्के से मारपीट की ओर उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर सवेसिह पिता कालू वसुनिया के घर ग्राम भूरीमाटी लेकर गये तथा उसे उसके घर में कमरे में बंद कर दिया, फिर वहॉ पर सवेसिंह वसुनिया, दुलेसिंह पिता तोलिया वसुनिया, कमजी पिता जोगड़िया भी आ गये तथा उसे मॉ–बहन की नंगी–नंगी गालियॉ देते हुए बोले कि तू 80 हजार रूाये दे, नहीं तो तुझे आज जाने नहीं देंगे ओर पैसे नहीं दिये तो जान से खत्म कर देंगे और उसके ाथ हाथ–थप्पड़ से मारपीट की जिससे उसे पीठ–गले, गाल पर चोटें आयी। उसके पविार वालों ने पुलिस में सूचना की ओर पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए ग्राम भुरीमाटी आये और सवेसिंह वसुनिया के घर से उसे साथ लेकर थाने आये। उसके परिवार के साथ सुनिल पिता अजमेर मोरी तथा अजय पिता किसन चौहान आने पर उन्हें घटना की बात बतायी और रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रानापुर में अपराध कमांक 227/2026 अंतर्गत धारा–296, 115 (2), 351(3), 140(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जहॉ तक फरियादी खुमसिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है, आपत्तिकर्ता द्वारा जो डराना–धमकाना और समझौते के लिये दबाव बनाना उल्लेखित किया है, उसके संबंध में किसी भी आरक्षी केन्द्र में कोई शिकायत किया जाना प्रकट नहीं होता है, अतः आपत्ति का कोई सुदृढ़ आधार होना प्रकट नहीं होता है, यद्यपि उसके संबंध में शर्तें अधिरोपित की जा सकती है।

केसडायरी अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध जो अपराध है वह मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, आवेदक/आरोपी दरू ग्राम वडलीपाड़ा, तहसील सरदारपुर जिला धार म.प्र. तथा शेष आवेदगण/आरोपीगण वडलीपाड़ा तहसील रानापुर जिला झाबुआ म.प्र. के स्थाई निवासी है, मामले में अभी अभियोग पत्र प्रस्तुत होना है, मामले में विवेचना और विचारण में समय लगने की संभावना है, उक्त स्थिति में अभियुक्त को आगे और अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, आवेदगण/आरोपीगण दिनांक 30.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः आवेदगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन

Order Sheet [Contd]

Crl.No. BA/374/2026 & 375/2026

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पत्र प्रकरण के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदगण/आरोपीगण द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ की संतुष्टि योग्य 25,000–25,000/– अक्षरी–पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की सक्षम प्रतिभूति तथा इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र इन शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर उन्हें मामले में जमानत पर रिहा किया जावे :–

1– मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तक प्रत्येक माह की 1 तारीख एवं 15 तारीख को प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य थाना प्रभारी पुलिस थाना रानापुर के समक्ष उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अनुसंधान में आवश्यक होने पर पूर्ण सहयोग करेंगे।

2– मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक नियमित रूप से उपस्थित होते रहेंगे और अपनी ओर से विलंब कारित नहीं करेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित केसडायरी के साथ संलग्न की जाकर केसडायरी थाना रानुपर को वापस लौटाई जावे।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर प्रकरण का अभिलेख विहित समयावधि में जिला अभिलेखागार भेजा जावे।

(राकेश कुमार पाटीदार)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)